उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४—अशोक मार्ग, लखनऊ—२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या : 870 –मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2019–04–मा0सं0प्र0–02 / 2017 दिनांक : 16 मार्च, 2019

ई-मेल
1. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / कासिमपुर(अलीगढ़)।

2. मुख्य अभियन्ता(स्तर–।।)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
पनकी(1x660)तापीय परियोजना / 2x660जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना,
पनकी(कानपुर) / मलावन(एटा)।

3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :–प्रदेश मे आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन किये जाने की सूचना विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0: 01 / पी.एस.एम.एस. / निर्वाचन / 2019, दिनांक – 12.03.2019, जिसके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 की घोषणा तथा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु "स्क्रीनिंग कमेटी" का गठन किया गया है एवं सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ / अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
उपसचिव(मा0सं0–02)

सं0: 870 –मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2019, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रतियों सहित निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / तकनीकी / वित्त / परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर / निजी सचिव।
3. महाप्रबन्धक(मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

क्रमशः 2

Scanned by CamScanner

4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक(पीपीएमएम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, टीसी –46/अ, समाज कल्याण भवन, विभुति खण्ड, गोमती नगर,, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(स्तर–।।), न्यू कोल ब्लॉक, चतुर्थ तल, टीसी–46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010।
6. मुख्य अभियन्ता(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(जानपद नव–परियोजनाएं), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
12. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–01/02/03/04/05/06/रिफार्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी(मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/(पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ।
16. कार्मिक अधिकारी(औ0सं0)/जन सूचना अनुभाग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ।
17. कट फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
उपसचिव(मा0सं0–02)

Scanned by CamScanner

858 …/02/अनि/2019
04-मा ई-05-0092/017
18

कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

लोक भवन

संख्या : 01 /पी.एस.एम.एस./निर्वाचन/2019

दिनांक : 12 मार्च, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 की घोषणा तथा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में "स्क्रीनिंग कमेटी" का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

1–	मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
2–	सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव	:	सदस्य
3–	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन	:	सदस्य

उपरोक्त समिति भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव का आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता / कम्पेन्डियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स ऑन मॉडल कोड ऑफ कण्डक्ट में निहित दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत् परीक्षण करने के उपरान्त तथा उसकी तात्कालिकता का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगी।

विभाग द्वारा "स्क्रीनिंग कमेटी" के विचारार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव से सम्बन्धित पत्रावली के स्थान पर केवल स्वतः स्पष्ट टिप्पणी प्रेषित की जाए।

भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ / विचारार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के परीक्षण में समय लगने के दृष्टिगत् "स्क्रीनिंग कमेटी" के समक्ष तात्कालिक प्रकृति (अर्जेण्ट नेचर) के प्रस्ताव अन्तिम क्षणों में प्रेषित न किये जायें।

किसी भी स्तर / विभाग द्वारा कोई भी प्रस्ताव / प्रकरण भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ सीधे प्रेषित नहीं किये जाएंगे।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

652/C.M/2019
12.03.2019

MD-PCL/JVNL
MD-पारे.
MD-UNL
नि (अ.उ)

(आलोक …)
12.03.19

संख्या– 01 (1)/पी.एस.एम.एस./2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली को आयोग के पत्र संख्या–437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2019, दिनांक 10 मार्च, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ
3– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

D(P&A)
GM(HR)
प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०
119 MP/MD/RVUNL 13.3.19

Scanned by CamScanner